प्रषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवटन
अनुदान स0–14
लेखाशीर्षक–4235608000324

सवा में,

अपर निदेशक(प्रशा0)/
आहरण एवं वितरण अधिकारा,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

सख्या–1/शा0/38/2020–1/225/2018 लखनऊ दिनाक 27 जनवरी, 2021

विषय– वित्तीय वर्ष 2020–21 म अनुदान स0–14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्ठि स्थलों का विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से रू0 9987.60 लाख का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक अनु सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र सख्या–03/2021/2957/33–3–2021–100(21)/2014 दिनांक 21.01.2021 एवं शुद्धि पत्र सं0–8/2021/167/33–3–2021–100(21)/2014 दिनांक 21.01.2021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्ठि स्थलों का विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रू0 10000.00 लाख** के सापेक्ष धनराशि रू0 9987.60 लाख उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 21.01.2021 के साथ संलग्न फॉट के कॉलम सं0–6 में इंगित कुल रू0 24.9690 लाख निदेशालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी के आहरण एवं व्यय हेतु तथा कॉलम सं0–10 व 13 में इंगित कुल रू0 9962.6310 लाख की धनराशि सम्बन्धित जिला पंचायतराज अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/व्यय/वितरण हेतु, इस प्रकार **कुल रू0–9987.60 (रू0 निन्यान्बे करोड़ सत्तासी लाख साठ हजार मात्र)**में निहित निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि **रू0 9987.60 लाख (रू0 निन्यान्बे करोड़ सत्तासी लाख साठ हजार मात्र)** का निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित किया जाता है–

1– प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

2– धनराशि के आहरण/व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3–आवंटित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–4/2020/बी–1–192/दस–2020–231/2020 दिनांक 07.04.2020 एवं पत्र सं0–10/2020/बी–1–564/दस–2020–231/2020 दिनांक 29.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की संभावित व्यय से अधिक धनराशि उपलब्ध न रहे।

4– आवंटित धनराशि का व्यय निर्माण सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा आवंटित की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

5– कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियो एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय–समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा तथा पंचायतीराज अनुभाग–3 के पत्र सं0–22/2019/1979/33–3–2019–11/2019 दिनांक 27.08.2019 के क्रम में उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से जनपदों को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाये जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

7– कार्यदायी संस्था द्वारा आंगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर/सेस/चार्ज लिया जायेगा तथ सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा तथा प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय ससंगत कय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

8– प्रायोजना प्रस्ताव/आंगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचातय द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आंगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आंगणन कर गठन कराया जाये एवं इस विस्तृत आंगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

9– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात किसी प्रकार का द्विरावृत्ति न हो।

10–योजना प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में परियोजना की लागत का पुनः पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित सहमति के कम में आंकलित लागत पर ही कार्य गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराया जायेगा।

11–उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–14 के लेखाशीर्षक–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03–ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12–इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों/शर्तो का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

13–निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र 13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14–जनपद स्तर पर अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिये नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

15–आवंटित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2020/बी–1–149–दस–2020–231/2020 दिनांक 24.03.2020 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2–यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–ई–2–09/X–2021 दिनांक 04.01.2021 में प्राप्त सहमति के कम में निर्गत किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–77 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।

<u>संख्या:–1/शा0/38/1/2020 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनु सचिव पंचायती राज अनभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21.01.2021 के कम में।

2. विशेष वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
7. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–21100।
8. उपनिदेशक (पं0), योजना प्रभारी, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलो का विकास, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. एस0पी0एम0यू0, पचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

Daily file 2021/All Letter-20.08.2020